19.2

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई अनुभाग–2
संख्या–2669/II–2016/06 (103)2013,
देहरादून : दिनांक 14 अक्टूबर 2016

अधिसूचना

चूंकि राज्य हित में उत्तराखण्ड बाढ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या 2027/II–2014/06 (103)2013, दिनांक 30 जून, 2014 द्वारा गौमुख से लक्सर तक की नदी किनारे अवस्थित बसावटों, उससे दूरी तथा नदी के बाढ़ मैदान के क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के प्रयोजनार्थ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भागीरथी विकास प्राधिकरण को बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी नियुक्त किया गया है।

और इसी क्रम में अधिसूचना संख्या 1023/II–2014/06(103)2013, दिनांक 6 जुलाई, 2015 द्वारा गौमुख से लक्सर तक की नदी किनारे अवस्थित बसावटों, उससे दूरी तथा नदी के बाढ़ मैदान के क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य को छोडते हुए उत्तराखण्ड राज्य के जनपदों में नदियों के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण करने के प्रयोजनार्थ सम्बंधित जिले के जिलाधिकारियों को बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिकारी नियुक्त किया गया है।

और चूंकि उत्तराखण्ड राज्य के भागीरथी नदी घाटी और टिहरी बांध के ऊपरी और निचली ओर तथा इसके जलागम और प्रभावी क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में, नदी घाटी की स्थायी विकास और समुचित प्रबंधन हेतु उत्तराखण्ड नदी घाटी (विकास और प्रबंध) अधिनियम, 2005 लागू होने के फलस्वरूप अधिसूचना संख्या 2027/II–2014/06(103)2013, दिनांक 30 जून, 2014 द्वारा अधिसूचित बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी के कार्यक्षेत्र गौमुख से लक्सर तक की नदी किनारे अवस्थित बसावटों, उससे दूरी तथा नदी के बाढ़ मैदान के क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य के क्षेत्र को उत्तराखण्ड नदी घाटी (विकास और प्रबंध) अधिनियम, 2005 के अधीन कार्यक्षेत्र की सीमा तक संशोधित किये जाने की अधिसूचना 91सा0/ II–2016/06(103)2013, दिनांक 3 जनवरी, 2016 निर्गत की गयी है।

अतः अब राज्यपाल उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 की धारा 3 की उपधारा (3) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या 2027/II–2014/ 06(103)2013, दिनांक 30 जून, 2014 एवं अधिसूचना संख्या–91सा0/II–2016/06(103)/2013 दिनांक 03 जनवरी, 2016 को अधिक्रमित करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भागीरथी विकास प्राधिकरण के स्थान पर सम्बंधित जिलों के जिलाधिकारियों को एतद्द्वारा बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी नियुक्त करते हैं।

(आनन्द बर्द्धन)
सचिव

...2

पृ0संख्या– 2667 / II–2016/06 (103)2013तददिनांकित्।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव (अवस्थापना/एफ0आर0डी0सी0) उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमॉऊ मण्डल पौड़ी।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
9. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना को समस्त प्रभागीय वनाधिकारियों को सूचित/उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना को समस्त अधिशासी अभियन्ताओं को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. निदेशक, शहरी एंव नगरीय विकास को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को समस्त नगर निकायों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, वाडिया इन्स्टीटयूट ऑफ हिमालयन ज्योलोजी देहरादून।
13. निदेशक, आई0आई0टी0 रूडकी।
14. निदेशक इण्डियन इन्स्टीटयूट ऑफ रिमोट सेन्सिंग उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. निदेशक, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान , रूड़की।
16. मुख्य अभियन्ता (परिकल्प) एंव निदेशक, सिंचाई अनुसंधान संस्थान रूड़की।
17. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण, देहरादून।
18. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
19. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण खण्ड के भाग–4 में प्रकाशित करते हुए 200 प्रतिया शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
20. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री उत्तराखण्ड सरकार।
21. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)
संयुक्त सचिव।